

आदेश

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 279/ एफ /14-xviii- (2) 15-32 /ए/2013 देहरादून दिनांक 18 फरवरी 2014 के अनुक्रम में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्न निर्माण, पुर्नस्थापना एवं मरम्मत कार्यों हेतु परगना स्तर पर गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) जो “ विशेष पुर्ननिर्माण इकाई “ से ज्ञात है की दिनांक 11.04.2014 की बैठक में 46 प्राप्त योजनाओं के प्राक्कलनों पर पी0आई0यू0 की सस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार निम्न प्राक्कलन पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है: -

क्र0 स0	विभाग का नाम	चिन्हित योजना का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	लागत लाख में	धनराशि जो अग्रिम अवमुक्त की जा रही है।
1	2	3		4	5
1-	अधिषारी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग- चोपडा - कुरडाण- काण्डई मोटर मार्ग के0 कि0मी0 15 हेमी0 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	अधिषारी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	4.72	1.00
2-	---तदैव---	स्थान विजयनगर में टाली निर्माण कार्य	---तदैव---	36.35	5.00
3-	---तदैव---	स्थान नगरासू में अलकनन्दा नदी पर टाली निर्माण	---तदैव---	21.63	5.00
4-	खण्ड विकास अधिकारी, जखोली	जवाडी-कोटली- वांसी सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	खण्ड विकास अधिकारी, जखोली	3.61	
5-	--- तदैव ---	जवाडी से बडखोली तक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य	--- तदैव ---	2.79	
6-	खण्ड विकास अधिकारी अगस्तमुनि	क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण बगडतोक दुंग	खण्ड विकास अधि0 अगस्तमुनि	1.75	
7-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा मार्ग मरम्मत बन थापला से धाट	---तदैव---	2.57	
8-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा मार्ग मरम्मत फरतौली से काण्डई	---तदैव---	2.10	
9-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत त्रिलोक सिंह की मकान तक आगर	---तदैव---	2.29	
10-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा मार्ग मरम्मत बोरा तल्ला से दुखिण्डा	---तदैव---	2.02	
11-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त गूल मरम्मत गगजैला तक थपलगांव	---तदैव---	2.63	
12-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा मार्ग मरम्मत गरोथ गधेरा से मल्ली खाली	---तदैव---	2.03	
13-	---तदैव---	ग्राम सतेराखाल के पैदल मार्ग के उपरी दिवारों का पुर्ननिर्माण	---तदैव---	4.42	
14-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत चम गदेरा से बरू	---तदैव---	1.99	
15-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत च्चीथ घण्डियाल मन्दिर से आटा चक्की बीरी	---तदैव---	3.38	
16-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत निषणी के मरगांव -देवीधार तक	---तदैव---	2.43	

17-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत दुखिण्डा से पुडियास	---तदैव---	2.73	
18-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त पुस्ता मरोम्मत कार्य भैरवनाथ मन्दिर जयमण्डी	---तदैव---	0.84	
19-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत फतेहपुर से मुल्कगांव	---तदैव---	3.98	
20-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत वर्सू- विलोटा	---तदैव---	2.00	
21-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत बौठां से किमोटा	---तदैव---	2.00	
22-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत वर्सू से ग्वाड तोक	---तदैव---	2.00	
23-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत मोटर मार्ग से वर्सू	---तदैव---	4.37	
24-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत अमकोटी सारी	---तदैव---	0.59	
25-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत चोपता से लोदला	---तदैव---	1.95	
26-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत रा0इ0का0 मयकोटी से बोरा	---तदैव---	0.68	
27-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत मयकोटी गांव से जयलोली	---तदैव---	0.90	
28-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत जगदीश के मकान से रा0इ0का0 पीडाधनपुर	---तदैव---	1.22	
29-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत डिग्गी गदेरा से पटोटीतोक पीडा	---तदैव---	2.30	
30-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत काण्डई मोटर मार्ग से सिरमुण्डा महादेव	---तदैव---	2.50	
31-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत टैटी से नरपानी	---तदैव---	2.50	
32-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत झुण्डोली से भराडसैण	---तदैव---	2.00	
33-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार पुर्न निर्माण छातीखाल	---तदैव---	1.99	
34-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0 मार्ग मरम्मत आर्युवेदिक चिकित्सालय से बैरागणा महड	---तदैव---	2.50	
35-	---तदैव---	क्षतिग्रस्त खडिजा/सी0सी0मार्ग मरम्मत बौठा से किमोटा	---तदैव---	2.00	
36-	सिचाई खण्ड रूद्र0	बैडुबगड में सुरक्षा दीवार एवं रीवर डाईवर्जन कार्य चैनेज.मी.00-01 तक	---तदैव---	23.83	11.00
37-	---तदैव---	बैडुबगड में सुरक्षा दीवार एवं रीवर डाईवर्जन कार्य बैडूबगड चैनेज.मी. 100-200 तक	---तदैव---	24.75	12.00
38-	---तदैव---	बैडुबगड में सुरक्षा दीवार एवं रीवर डाईवर्जन कार्य बैडूबगड चैनेज.मी. 200-300	---तदैव---	23.87	11.00
39-	---तदैव---	श्री अनुसूया प्रसाद बहुगुणा डिग्री कालेज की बाढ सुरक्षा एवं रीवर	---तदैव---	24.89	12.00

40-	---तदैव---	डाईवर्जन कार्य चैनेज 00 से 100 तक श्री अनुसूया प्रसाद बहुगुणा डिग्री कालेज की बाढ सुरक्षा एवं रीवर डाईवर्जन कार्य चैनेज 100 से 200 तक	---तदैव---	14.40	10.00
41-	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग	संगम रूद्रप्रयाग में क्षतिग्रस्त रैलिंग एवं रास्ता पुर्ननिर्माण	---तदैव---	26.26	13.00
42-	---तदैव---	माई की मण्डी में क्षतिग्रस्त रास्ता पुर्न निर्माण	---तदैव---	37.58	16.80
43-	---तदैव---	ग्राम सादर के नैल तोक से शमसान घाट तक रास्ता पुर्न निर्माण	---तदैव---	4.16	
44-	---तदैव---	बाईपास सडक से घाट तक रास्ता पुर्ननिर्माण	---तदैव---	1.47	
45-	---तदैव---	तिलणी राजमार्ग से शमसान घाट तक रास्ता पुर्न निर्माण	---तदैव---	3.84	
46-	---तदैव---	वार्ड स0 4 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन/पोल एवं लाईट का पुर्ननिर्माण	---तदैव---	2.20	
	कुलयोग-			323.01	96.80

समिति द्वारा उपरोक्त समस्त योजनाओं /कार्यों की मरम्मत /पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना कार्यों को वर्क चार्ज के आधार पर करने की अनुमति निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के तहत प्रदान की जाती है:-

1- कार्यदायी संस्था / एजेन्सी रू0 25 लाख तक के एक कार्य को वर्कचार्ज के आधार पर तत्काल मरम्मत /पुर्ननिर्माण/पुर्न स्थापना कार्य करना सुनिश्चित करेगी। 25 लाख से अधिक तथा 100 लाख तक के कार्यों हेतु निविदा आमत्रित की जायेगी। तथा निविदा की अवधि 7 दिन होगी। स्वीकृत आदेश प्राप्त होने पर कार्य तत्काल प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने की लिखित सूचना पी.आई.यू. समिति को उपलब्ध करानी होगी।

2- उक्त कार्यों हेतु धनराशि प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्वीकृत किये जा रहे आगणनों की अग्रिम धनराशि कालम् 5 के अनुसार भुगतान की जावेगी। शेष धनराशि का भुगतान कार्य समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाय। कार्यदायी संस्था को कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जावेगी।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक है, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जावेगा।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल के आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य करवाना सुनिश्चित करे।

5- आगणन में जिन मदों हेतु धनराशि आकलित / स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की धनराशि का उपयोग दुसरी मदों में कदापि न किया जाय। यदि मद परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिये कार्यदायी संस्था के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये कार्यदायी विभाग के कार्यालयध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था के अधिशायी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7- कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करवाये जाय। लागत में कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

8- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् क्षतिग्रस्त कार्य योजना के फोटोग्राफस उपलब्ध कराये जाय, कार्य पूर्ण होने पर योजना स्थल पर साईनबोर्ड पर स्वीकृत धनराशि, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का दिनांक व वर्ष, तथा कार्यदायी संस्था का नाम एवं कार्य योजना का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय।

9- कार्यों की सत्यता तथा गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति एवं परगने की परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) अथवा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा परगना स्तर पर इसके निमित्त गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा। तदनुसार ही कार्यदायी विभाग /संस्था को स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जावेगी।

10 कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

11- दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/ पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग व अनियमितता की स्थिति में कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी तथा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(चतर सिंह चौहान)

मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0)/
उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी/ पी0आई0यू0 समिति तहसील रुद्रप्रयाग।

संख्या 570 / पी0आई0यू0 बैठक -2013-14, दिनांक रुद्रप्रयाग, अप्रैल 26 2014

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- कार्यदायी संस्था को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे

2- उप कोषाधिकारी अगस्तमुनि।

3- तहसीलदार रुद्रप्रयाग।

4- जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, जिला कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु 5-
जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग।

—JM—

मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0)/
उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।